न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 01/2017

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन नेठराना तहसील भादरा।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज : वादी
वकील श्री श्रवण सहारण : प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक : 26.9.18**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है उक्त खातेदार भादरराम पुत्र चुनीराम कौम जाट साकिन नेठराना के नाम ग्राम नेठराना के चक 3 बी आर डब्ल्यू के मु.न. 10, 11, 14, 15 के 6.325 हैक्टर नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रतिवादी ने मु.न. 11 के किला नं. 23 ता 25 में ईंन्टे डाल रखी है व मजदूरों के लिए स्थाई निवास के लिए मकान बना रखें है, मु.न. 14 के किला नं. 3 ता 5 की 0.759 हैक्टर, किला नं. 13 ता 18 की 1.518 हैक्टर में ईन्ट बनाने का कार्य बिना कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराये किया जा रहा है।

मु.न. 11 व 14 में खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषक कार्यो के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लघंन किया है।

कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निमार्ण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नही। प्रतिवादी द्वारा खसरा नं. 256/1 की भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है।

विवादित कृषि भूमि को खातेदारों द्वारा बिना स्वीकृतिके 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नही आता है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही कर उक्त भूमि सिवाय चक भूमि घोषित की जावे ताकि कोई अन्य खातेदार भी इस प्रकार की कृत्य न कर सके न कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने पर रोक लग सके।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी जबाबदावा पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि "मुझ प्रतिवादी ने परीक्षण के तोर पर केवल एक बीघा कृषि भूमि में अकृषि कार्य करके देखा था लेकिन थोड़े दिन बाद ही मुझ प्रतिवादी ने उस बीघा में अकृषि कार्य करना पूर्णतया बन्द कर दिया एवं वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई अकृर्षि कार्य चालू नही है जो मलबा व ईन्टे अकृषि कार्य हेतु रखी हुई थी वो उठा ली जायेगी एव सम्पूर्ण 6.325 हैक्टर कृषि भूमि पर फसले काश्त कर रखी है" मुझ प्रतिवादी द्वारा खसरा गिरदावरी 2072–73 संलग्न जवाब दावा है।

अगर मुझ प्रतिवादी द्वारा अकृषि कार्य निरन्तर जारी करना पाया जाता है तो श्रीमान जी मौका कमिश्नर नियुक्त कर मुझ प्रतिवादी की कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट पत्रावली पर मंगवाये जाने का निवेदन है उसमें मुझ प्रतिवादी सहयोग करने के लिए तत्पर एवं तैयार हूँ। तत्कालीन मौका कमिश्नर पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की थी एवं उसी के आधार पर वादी द्वारा झुठा वाद पेश किया गया है। अतः जवाबदावा प्रतिवादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि अर्जीदावा वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि चक 3 बी.आर.डब्ल्यू के मु.न. 11 किला नं. 23 ता 25, मु.न. 14 किला नं. 3 ता 5, 6 ता 8 की कृषि भूमि को प्रतिवादी द्वारा गैर कृषि कार्य के रूप में काम लेते हुए ईन्ट भट्टा संचालित कर उक्त कृषि भूमि को व्यवसायिक/आद्योगिक काम में ली जा रही है तथा भूमि की किस्म परिवर्तित नही करवायी है। ऐसे में उक्त भूमि को वादी सिवाय चक दर्ज करवाने का अधिकारी है ?

— वादी

2. आया कि वादभूमि का अकृषिक प्रयोजन करके प्रतिवादी ने नियमों का उल्लघंन किया है जिसके कारण वादी प्रतिवादी को वादभूमि से बेदखली का अधिकार रखता है ?

— वादी

3. आया कि वादभूमि में मौके पर कृषि कार्य हो रहा है मौके पर चिमन व भट्टे के कोई निशान नही है ?

— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

तनकी कायम करने के बाद साक्ष्य वादी में अमीचन्द पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी भागसर हाल पटवारी नेठराना ए तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा चक 3 बी.आर.डब्ल्यू प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी रोही मोजा चक 3 बी.आर.डब्ल्यू खाता संख्या 55/54 सम्वत 2072 प्रदर्श 2, प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी में भादरराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा के बयान करवाये गये, दस्तावेजी साक्ष्य में चक 3 बी.आर.डब्ल्यू की खसरा गिरदावरी प्रदर्श डी 1 है। तथा गवाह जगदीश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा, दुनीराम पुत्र गोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना

तहसील भादरा एवं रामस्वरूप पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी नेठराना के साक्ष्य करवाये गयें। उभय पक्षकारान के साक्ष्य के बाद वादभूमि की मौका रिपोर्ट मंगवायी गई जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अपनी बहस में पेरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से खातेदार काश्तकार भादरराम के विरूद्ध वाद कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। हस्तगत प्रकरण में 3 तनकीयात कायम की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवास, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार काश्तकार ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

तनकी संख्या 01 से 03 –तीनों तनकीयात वादभूमि के अकृषिक उपयोग, नियमों के उल्लघन से संबधित है। तीनों तनकिया परस्पर संबंधित व एक दूसरे पर निर्भर है। अतः अतः इनकी एक साथ विवेचना किया जाना उचित है।

वादी की तरफ साक्षी अमीचंद पटवारी नेठराना ए ने अपनी जिरह में मौके पर भट्टा ऑफिस सभी बंद होना बताया है। इस साक्षी के अलावा वादी द्वारा और कोई साक्ष्य या साक्षी पेश नही किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में स्वय प्रतिवादी भादरराम, जगदीश, दुनीराम, रामस्वरूप ने अपने शपथ पत्र व जिरह में अंकन करवाया है कि कुल वादभूमि में मात्र 1 बीघा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा ईट भट्टा लगाया गया जिसे बाद में प्रतिवादी द्वारा बंद कर दिया गया। साक्ष्य प्रतिवादी का कोई खण्डन वादी द्वारा पेश नही किया गया। वादी ने अपने वादपत्र में मु.न. 11 के किला नं. 23 ता 25 व मु.न. 14 के किला नं. 3 ता 5, 6 ता 8, 13 ता 18 में अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य होना अंकित किया है जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2018 में मु.न. 11 के किला नं. 22 ता 25 खाली होना बताया उसमें किसी अकृषि कार्य होने का अंकन रिपोर्ट में नही किया गया है, जबकि मु.न. 14 के किला नं. 2, 6 से 9, 12 से 15, 16 से 19 में ग्वार बिजाई होना अंकित किया है। केवल मात्र किला नं. 3, 4, 5 में टुटा फुटा कच्ची मिटटी को गोल घेरा बना होना अंकित किया है रिपोर्ट में कही भी ईट भट्टा की चिमनी, ऑफिस ईट निर्माण कार्य का अंकन नही है। कच्ची मिटटी के गोल घेरा को हटाया जाकर वादभूमि को मूल स्वरूप में लौटाया जा सकता है। प्रतिवादी काश्तकार द्वारा वादभूमि के लिए कोई अहितकर कार्य करना साबित नही है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट जो वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है वह वादपत्र का खण्डन करती है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद अपने पैरो पर खड़े होकर साबित करना होता है। वादी तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने में व तनकी संख्या 3 का

खण्डन करने में असफल रहा है, जबकि प्रतिवादी तनकी संख्या 3 को साबित करने में सफल रहा है। अतः तनकी संख्या 1 ता 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई थी जो कि प्रतिवादी के पक्ष में तय की जा चुकी है। वाद अपना वाद साबित करने में असफल रहा है।

सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र में उभय पक्षकरान के साक्ष्य, मौका रिपोर्ट पटवारी एवं तहसीलदार तथा मुख्य परीक्षा से वादी वाद साबित करने में असफल रहा है कि खातेदार काश्तकार प्रतिवादी भादरराम ने ग्राम नेठराना के चक 3 बी आर डब्ल्यू के मु.न. 10, 11, 14, 15 के 6.325 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी ने मु.न. 11 के किला नं. 23 ता 25 में ईंन्टे डाल रखी है व मजदूरों के अस्थाई निवास के लिए मकान बना रखें है, मु.न. 14 के किला नं. 3 ता 5 की 0.759 हैक्टर, किला नं. 13 ता 18 की 1.518 हैक्टर भूमि में अकृषि कार्य किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकीवार निर्णय के उपरान्त वाद वादी साबित करने में असफल रहा है। दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 01/2017

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन नेठराना तहसील भादरा।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी पैराकार राज एवं वकील प्रतिवादी श्रवण सहारण की उपस्थिति में तनकीवार निर्णय हेतु प्रस्तुत होने के उपरान्त वाद वादी साबित करने में असफल रहा है। दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..26/9/18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)